लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2018

दिनांक :...

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—ज्ञाप

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन हेतु समाचार पत्रों में जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, वे नियमानुसार नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा—31(10) में प्राविधानित है कि—"इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाए जिसका भारत में पर्याप्त परिचालन हो।"

अतः समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के चयन हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के उक्त प्राविधानानुसार ही समाचार पत्रों में विज्ञापनोपरान्त विश्वविद्यालय से चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : Af/22882-86 दिनांक : 11/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
3. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के अवलोकनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)